-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 17.06.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली देहात व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 04 वांछित अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक अभियुक्त को पैर में लगी गोली। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किए गए 02 ई-रिक्शा, चोरी की गई बैट्री, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद।**
- **अभियुक्त रात्रि में सवारी बनकर कोलड्रिंक पिलाने के बहाने ई-रिक्शा चालकों को जहरखुरानी का शिकार बनाकर ई-रिक्शा चोरी की घटना को देते थे अंजाम। घायल अभियुक्त पर हत्या, चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी सहित डेढ़ दर्जन मामले हैं पंजीकृत। घायल अभियुक्त अखिलेश को हत्या के मामले में हो चुकी है आजीवन कारावास की सजा।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजीव प्रताप सिंह के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 17.06.2025 को थाना कोतवाली देहात व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्तों गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थी। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम चहितारा के पास जंगल की ओर कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक ई-रिक्शा से आते हुए दिखे जो पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास किए, मौके से घेरकर 03 अभियुक्तों को पकड़ लिया गया। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि यह ई-रिक्शा चोरी का है तथा एक अन्य अभियुक्त अखिलेश सिंह चोरी का एक अन्य रिक्शा लेकर कुछ दूरी पर खड़ा है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अखिलेख को पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करनी शुरू कर दी, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो। अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। जाँच व पूछताछ में ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ई-रिक्शा पर रात्रि में सवारी बनकर बैठते थे तथा कोलड्रिंक आदि पिलाने का बहाना करके चालक को जहरखुरानी का शिकार बना लेते थे तथा ई-रिक्शा पैसा आदि लेकर फरार हो जाते थे। अभियुक्तों द्वारा दिनांक 15.06.2025 को अतर्रा से, दिनांक 08.06.2025 को कोतवाली नगर से व दिनांक 28.05.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र से ई-रिक्शा चालकों को जहरखुरानी का शिकार बनाकर ई-रिक्शा तथा रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किए गए थे। पुलिस द्वारा थाना अतर्रा व थाना कोतवाली देहात की घटना से संबंधित ई-रिक्शा को बरामद कर लिया गया है जबकि थाना कोतवाली नगर से संबंधित घटना में ई-रिक्शा की मोटर व बैट्री बरामद की गई हैं। अभियुक्त अखिलेश को हत्या के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तथा वर्तमान में वह जमानत पर बाहर था, उस पर हत्या, चोरी, मादक पदार्थों की तस्करी सहित डेढ़ दर्जन मामले पंजीकृत हैं।

बरामदगी-

- चोरी किए गए 02 ई-रिक्शा
- 07 बैट्री (ई-रिक्शा की)
- ई-रिक्शा की एक मोटर
- 01 अवैध तमंचा
- 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस
- 38900 रुपये नकद (चोरी किए गए तथा बैट्री बेचने से प्राप्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अखिलेश सिंह पुत्र राम सिंह नि0 पिस्टा थाना बिसंडा जनपद बाँदा (मुठभेड़ में घायल)।
2. रिंकू सिंह पुत्र पृथ्वीपाल सिंह नि0 पिस्टा थाना बिसंडा जनपद बाँदा।
3. राकेश सिंह पुत्र स्वर्गीय राम सिंह नि0 पिस्टा थाना बिसंडा जनपद बाँदा।
4. उमेश कुमार वर्मा पुत्र कोदा प्रसाद नि0 ओरन रोड मूसानगर थाना अतर्रा जनपद बाँदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री अनूप कुमार दूबे प्र0नि0 कोतवाली देहात मय टीम
2. श्री कृष्णदेव त्रिपाठी प्रभारी एसओजी मय टीम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अखिलेश सिंह पुत्र राम सिंह नि0 पिस्टा थाना बिसंडा-

1. मु0अ0सं0 202/10 धारा 20/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
2. मु0अ0सं0 198/10 धारा 328/379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
3. मु0अ0सं0 407/10 धारा 2/3 गुण्डा एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
4. मु0अ0सं0 197/12 धारा 2/3 गुण्डा एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा
5. मु0अ0सं0 42/12 धारा 304/328/380/411 भादवि थाना गिरवां जनपद बांदा
6. मु0अ0सं0 118/12 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना गिरवां जनपद बांदा
7. मु0अ0सं0 14/11 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट व धारा 379 भादवि थाना जीआरपी बांदा
8. मु0अ0सं0 09/11 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी बांदा
9. मु0अ0सं0 65/11 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी बांदा
10. मु0अ0सं0 198/11 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, 21/22 एनडीपीएस एक्ट व 401 भादवि थाना जीआरपी बांदा
11. मु0अ0सं0 201/11 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जीआरपी बांदा
12. मु0अ0सं0 284/11 धारा 379/328 भादवि थाना अतर्रा जनपद बांदा
13. मु0अ0सं0 47/11 धारा 328/380/304 भादवि थाना गिरवां जनपद बांदा
14. मु0अ0सं0 47/22 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी बांदा
15. मु0अ0सं0 20/23 धारा 328/379/411 भादवि थाना जीआरपी बांदा
16. मु0अ0सं0 523/25 धारा 123/303(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा
17. मु0अ0सं0 211/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना अतर्रा जनपद बांदा
18. मु0अ0सं0 122/25 धारा 123/305 बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा